निदेशालय, बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार, उ0प्र0 लखनऊ

पत्रांक : C-1491/बा0वि0परि0/लेखा/2015-16

दिनांक : 15 मार्च, 2016

समस्त जिला कार्यक्रम अधिकारी/प्रभारी,
उत्तर प्रदेश।

विषय : बाल विकास परियोजनाओं में विकेन्द्रीकृत व्यवस्था के अन्तर्गत हॉट कुक्ड फूड के अन्तर्गत धनराशि के अग्रिम आहरण/समर्पण के सम्बन्ध में।

शासनादेश संख्या-04/2016/31/60-2-16-2/3(2)08 दिनॉक 21.01.2016 में निहित शर्तों के अधीन प्रदेश की 896 बाल विकास परियोजनाओं में संचालित आंगनबाड़ी केन्द्रों में 03 से 06 वर्ष के लाभार्थियों को माह फरवरी तथा मार्च, 2016 हेतु हॉट कुक्ड फूड रू0 3.50 प्रति दिन प्रति लाभार्थी की दर से अग्रिम आहरण की स्वीकृति प्रदान की गयी है। इस क्रम में निदेशालय पत्र संख्या सी-1469/ बा0वि0परि0/लेखा/2015-16 दिनॉक 10.03.2016 द्वारा 56 जनपदों को माह मार्च, 2016 की अवशेष अवधि के लिए धनराशि आवंटित की गयी है।

उक्तानुक्रम में आपको निर्देशित किया जाता है कि हॉट कुक्ड फूड योजनान्तर्गत अवशेष धनराशि/आवंटित धनराशि को माह मार्च, 2016 की अवशेष अवधि में आंगनबाड़ी केन्द्रों के संचालन के वास्तविक दिनों हेतु आंकलित करते हुए तत्काल आहरण कर धनराशि का समायोजन दिनॉक 31.03.2016 तक अनिवार्य रूप से करना सुनिश्चित करें। यदि इसके पश्चात् कोई धनराशि अवशेष रह जाती है तो दिनॉक 20.03.2016 तक अनिवार्य रूप से समर्पित करना सुनिश्चित करें।

(विश्वजीत कुमार दास)
अपर निदेशक(वित्त)

D:\ICDS-GEN\BUDGET\BUDGET-2015-16\NON-PLAN-AYOJNETTER\hot Cooked letter.doc

निदेशालय, बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार, उ0प्र0 लखनऊ

पत्रांक : C-1493 /बा0वि0परि0/लेखा/2015-16 दिनांक : 15 मार्च, 2016

समस्त जिला कार्यक्रम अधिकारी/प्रभारी,
आहरण वितरण अधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

विषय : वित्तीय वर्ष 2015-16 में बचत समर्पण के सम्बन्ध में।

समय-समय पर जारी निदेशालय परिपत्रों का संदर्भ लें जिनके द्वारा वित्तीय वर्ष 2015-16 हेतु विभिन्न कार्यक्रमों की विभिन्न मदों में धनावंटन किया गया है।

उक्तानुक्रम में आपको निर्देशित किया जाता है कि समस्त कार्यक्रमों में आवंटित धनराशि के सापेक्ष नियमानुसार देयताओं का भुगतान दिनॉक 22.03.2015 तक करते हुए अवशेष धनराशि का समर्पण अनिवार्य रूप से ई-मेल आई0डी0 adficds@gmail.com पर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। उक्त अवधि के पश्चात् यदि कोई धनराशि समर्पित होती है तो इसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व आपका होगा। प्रकरण महत्वपूर्ण है अतः इसमें किसी भी प्रकार की शिथिलता क्षम्य नहीं होगी।

(विश्वजीत कुमार दास)
अपर निदेशक(वित्त)

D:\ICDS-GEN\shailendra\official letters.doc